

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़  
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक/रि.प.क्र-13607/1984/ 888 /20 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक  
प्रति, 27/11/2020

अध्यक्ष/सचिव

कृष्णा एजुकेशन सोसायटी, भिलाई  
43-ए/6, नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग।

विषय :- छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन-1998) की धारा-29 के अधीन कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत।

संदर्भ :- आपकी ओर प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 21.07.2020 एवं 26.11.2020

-00--

संस्था कृष्णा एजुकेशन सोसायटी, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण


अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीयन क्रमांक-13607, दिनांक 11.04.1984 द्वारा  
पंजीकृत है जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 24.06.2020 को आयोजित आमसभा के बैठक की जानकारी नियत  
प्रूपण पर इस कार्यालय में दिनांक 21.07.2020 एवं 26.11.2020 को फायलिंग शुल्क  
रूपये 5000/चालान क्रमांक-78946960, दिनांक 18.07.2020 दुर्ग में जमा कर प्रस्तुत करते हुए सूची  
प्रदाय करने हेतु धारा-29 के अधीन रूपये 80/-, चालान क्रमांक-79161243, दिनांक 18.07.2020 में  
जमा कर प्रस्तुत किया गया है।

अतः संस्था द्वारा प्रस्तुत सूची को धारा-27 के अधीन दिनांक 27.11.2020 को रिकार्ड पर  
लिया गया है। जिसमें कार्यकारिणी पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नानुसार नामों का उल्लेख किया  
गया है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
01	श्री मदन मोहन त्रिपाठी	अध्यक्ष
02	श्री आनन्द कुमार	उपाध्यक्ष
03	श्री प्रमोद कुमार	सचिव
04	श्रीमती रनेहलता त्रिपाठी	कोषाध्यक्ष
05	श्री एच.के.मिश्रा	संयुक्त सचिव
06	श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी	सदस्य
07	श्रीमती कुंजलता त्रिपाठी	सदस्य

अतः एतद् द्वारा आज दिनांक 27/11/2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती है।

  
(एन.के.नारनवर)

सहायक पंजीयक  
फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़